

**कार्यालय अनुविभागीय दण्डाधिकारी डोंगरगढ़ जिला राजनांदगांव
आदेश**

क्रमांक/ 1080/स्टेनो शाखा/अ.वि.द./2020

डोंगरगढ़, दिनांक—03.07.2020

विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कोरोना वायरस को महामारी घोषित किया गया है। कोरोना वायरस से बचाव को दृष्टिगत रखते हुए छ.ग.शासन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मन्त्रालय महानदी भवन, अटल नगर नवा रायपुर द्वारा दिनांक 13.03.2020 द्वारा नोटिफिकेशन (Government of chhattishgarh Deptt. Of health and family welfare mantralay Mahanadi bhawan, atal nagar, nava Raipur, nava Raipur dated 13.03.2020 notification No f 1-26/2020/17-1;; in exercise of the powers conferred under section 2,3 and 4 of the epidemic disease act 1897 (No.3 of 1897), the government of chhattishgarh, department of health and family welfare hereby, issues the following regulation regarding COVID-19 (corona virus disease 2019), namely) जारी किया गया है।

1. दिनांक 03.07.2020 से डोंगरगढ़ नगरपालिका क्षेत्र के समस्त व्यवसायिक प्रतिष्ठान प्रातः 07.00 बजे से सध्या 07.00 बजे तक (गोमास्ता एक्ट के तहत साप्ताहिक अवकाश का पालन करते हुए) खुल सकेंगे। समस्त प्रतिष्ठानों पर सोशियल डिस्टेंसिंग के पालन दुकानदार व ग्राहकों द्वारा मास्क का उपयोग व प्रतिदिन व्यवसायिक प्रतिष्ठान को सेनिटाईज किया जाना सुनिश्चित करेंगे। निर्देशों का पालन न करने अथवा समयावधि पश्चात दुकान खुली पाए जाने पर दुकानदार के विरुद्ध दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 188 के तहत कार्यवाही की जावेगी।
2. सभी व्यवसायी एक पंजी संधारित कर ग्राहकों का पूर्ण विवरण रखेंगे, जिसमें नाम/पता/मोबाइल नंबर दर्ज करेंगे।
3. खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित उद्योग (यथा राईस मिल, दाल मिल, पोहा मिल आदि) यथावत संचालित रहेंगे।
4. सभी व्यवसायियों को माल परिवहन करने वाले वाहन/वाहन चालकों का विवरण एक पंजी में आवश्यक रूप से संधारित करना होगा।
5. शासकीय एवं अद्वशासकीय कार्यालय, सभी बैंक, मेडिकल स्टोर, पेट्रोल पंप, गैस एजेन्सियां अपने समय पर यथावत खुले रहेंगे।
6. किसी भी प्रकार की सभा, आयोजन, जुलूस, सांस्कृतिक/सामाजिक/वैयाहिक कार्यक्रम तथा पार्क/क्लब/सिनेमा हॉल पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे।
7. नगर पालिका परिषद डोंगरगढ़ के विभिन्न क्षेत्रों में पृथक से कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है, इन क्षेत्रों में कंटेनमेंट जोन हेतु जारी आदेशानुसार शर्तें/प्रतिवधि का कड़ाई से पालन किया जाना आवश्यक होगा।

यदि शहर के किसी नागरिक को लगता है या जानकारी मिलती है कि :-

1. कोई दूसरे प्रदेश से प्रभावित जगह कॉन्टेनमेंट जोन से आया है।
 2. ग्राहक का नाम, मोबाइल नंबर, पूर्ण पता रजिस्ट्रर मेन्टेन नहीं हो रहा है,
 3. मास्क/गमछा के बिना सोशल डिस्टेन्स का पालन नहीं हो रहा हो,
तो तहसील कार्यालय डोंगरगढ़ एवं नगरपालिका परिषद डोंगरगढ़ के निम्नांकित अधिकारी/कर्मचारियों के निम्नांकित नंबर पर कॉल करके अवगत करावें ताकि डोंगरगढ़ सुरक्षित रहे।
- | | |
|---|------------|
| 1. श्री अविनाश ठाकुर तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी डोंगरगढ़ | 8770621236 |
| 2. श्री हेमशंकर देशलहरा मुख्य नगर पालिका अधिकारी डोंगरगढ़ | 9425262312 |
| 3. श्री विजय मेहरा उप अभियंता नगर पालिका परिषद डोंगरगढ़ | 9479225916 |
| 4. श्री दौलत मिश्रा, नगर पालिका परिषद डोंगरगढ़ | 9926974969 |

जगरूकता और सतर्कता ही बचाव है मास्क या गमछा से मुह ढके जब भी घर से बाहर निकले लगातार हाथ धोए साबुन से और सैनिटाइजर का प्रयोग करे, शासन के दिशा निर्देशों और नियमों का पालन करे।

अनुविभागीय दण्डाधिकारी,
डोंगरगढ़

क्रमांक/ 1080/स्टेनो शाखा/अ.वि.द./2020

डोंगरगढ़, दिनांक—03.07.2020

प्रतिलिपि :-

1. कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी राजनांदगांव को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) डोंगरगढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी डोंगरगढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. मुख्य नगर पालिका अधिकारी डोंगरगढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

अनुविभागीय दण्डाधिकारी,
डोंगरगढ़